रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112022-240093 CG-DL-E-07112022-240093

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4954] No. 4954] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5173(अ).—केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4303 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में रा. रा. संख्या 43 (नया रा.रा.30) (रायपुर-धमतरी सेक्शन) के रायपुर-कोडेबोड़ खंड कि.मी. 10.200 से कि.मी.43.400 तक एन.एच. डी. पी. फेज-4 के तहत ई.पी.सी. पद्धित में चारलेन चौड़ीकरण निर्माण कार्य (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, रायपुर) तक के भू-खंड के निर्माण (चौड़ीकरण/ पेव्हड शोल्डर सहित 2-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसुचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24 सितम्बर 2022 " को "नईद्निया" और "द हितवाद" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

7380 GI/2022 (1)

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में रा. रा. संख्या 43 (नया रा.रा.30) (रायपुर-धमतरी सेक्शन) के रायपुर-कोडेबोड़ खंड कि.मी. 10.200 से कि.मी.43.400 तक एन.एच. डी. पी. फेज-4 के तहत ई.पी.सी. पद्धित में चारलेन चौड़ीकरण निर्माण कार्य (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, रायपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सिंहत अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य व	ा नाम: छत्तीस ग	ढ़	जिले का नाम: रायपुर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम			
1	2	3	4	5	6			
	तालुक का नाम: रायपुर							
	गांव का नाम: माना							
1	132/5	निजी	कृषि (सिंचित)	0.036	परसराम पिता हिन्छाराम (132/5)			
2	36	निजी	कृषि (सिंचित)	0.065	होशियार सिंग पिता गुरूबक्श सिंग (36)			
			कुल	0.101				

[फा. सं. 12012/1/2010/PD-DMT/RP-DMT/52/3D] राजेश गृप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5173(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.4303 (E) dated 14 Sep 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH30 in the stretch of 4-laning of (Raipur-Dhamtari Section) Raipur-Kodebod from Km 10.200 to Km 43.400 of NH-43 (New NH-30) in the state of

Chhattisgarh under NHDP Phase-IV on EPC mode (Office of Sub Divisional Officer (Revenue) and Competent Authority Land Acquisition, Raipur) in the district of RAIPUR in the state of CHHATTISGARH

And whereas the substance of the said notification has been published in "Naiduniya" and "The Hitwada" both dated 24 Sep 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within theNH30 in the stretch of 4-laning of (Raipur-Dhamtari Section) Raipur-Kodebod from Km 10.200 to Km 43.400 of NH-43 (New NH-30) in the state of Chhattisgarh under NHDP Phase-IV on EPC mode (Office of Sub Divisional Officer (Revenue) and Competent Authority Land Acquisition, Raipur) in the district of RAIPUR in the state of CHHATTISGARH

State	: CHHATTISGA	ARH	District: RAIPUR						
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.				
1	2	3	4	5	6				
	Taluk: Raipur								
	Village: Mana								
1	132/5	Private	Agriculture (Irrigated)	0.036	Parasram S/o Hincharam 132/5				
2	36	Private	Agriculture (Irrigated)	0.065	Hoshiyar Singh S/o Gurubaks Singh 36				
			TOTAL	0.101					

[F. No. 12012/1/2010/PD-DMT/RP-DMT/52/3D]
RAJESH GUPTA, Director